न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 79 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. राजूराम पुत्र सोनाराम 2. मूलाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी सुनरों की ढाणियों दुधु तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर (राज.)	1. गोमाराम पुत्र पीथाराम 2. अचला पुत्र विरधाराम जाति जाट निवासी सुनरों की ढाणियों दुधु तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर 3. बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा धौरीमन्ना 4. जयपुर थार आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा मांगता 5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिपति तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर धौरीमना द्वारा राजस्व वाद संख्या 114 / 2015 बउनवान गोमा बनाम राजू वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.01.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बलवंतसिंह चोधरी उतरदाता की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—12.03.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस व प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक संयुक्त खातेदारी व सामलाती कब्जा काश्त की अपीलाधीन आराजी भूमि मौजा सुनारों की ढाणीयों पटवार क्षेत्र दुधु तहसील धौरीमन्ना के खसरा संख्या 430 रकबा 0.0243 हैक्टयर, खसरा संख्या 431 रकबा 3.4722 हैक्टयर व खसरा संख्या 433 रकबा 2.9299 हैक्टयर का अवस्थित है। वक्त बन्दोबस्त के समय अपीलाधीन आराजी भूमि ग्राम दुधु के खसरा संख्या 431, 433, 430 रकबा 39.14 बीघा पर अपीलांटगण के पिता सोना व उतरदाता संख्या 01 के पिता पीथा का संयुक्त कब्जा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

काश्त व हक हिस्सा होने से अपीलाधीन आराजी की पैमाईश अपीलांटगण के पिता सोना व उत्तरदाता संख्या 01 के पिता पीथा ने संयुक्त रूप में पैमाईश करवाई गई। अपीलाधीन आराजी का पर्चा लगान भी अपीलांटगण के पिता सोना व उत्तरदाता संख्या 01 के पिता पीथा के नाम से संयुक्त रूप से जारी किया गया। लेकिन भूलवंश अपीलांटगण के पिता की वल्दियत उसके पिता के नाम के स्थान पर उसके दादा का नाम का अंकन हो गया। उतरदाता संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस आशय का पेश किया कि वक्त सेटलमेंट वादी के पिता पीथा व उत्तरदाता के पिता सहदायिक संयुक्त परिवार नहीं होकर अलग अलग निवास करते थे। वादी के पैतृक खातेदारी खेत खसरा संख्या 431, 433, 430 कुल रकबा 39.10 बीघा मौजा दुधु में वादी के पिता सदभाविक काश्तकार होने से वादी के पिता के नाम का पर्चा लगान जारी हुआ किन्तु वक्त बंदोबस्त वादी के पिता वृद्ध अवस्था में होने के कारण व वादी नाबालिग होने से वादी के घर का काम काज सोना पुत्र वीरमा देखते थे इसलिए विधि अनुसार सोना को पैतृक भूमि में पीथा पुत्र रामकिशन का नाम अंकित करवाना था किन्तु वादी की भूमि हड़प करने की नियत से सोना पुत्र वीरमा ने वादी के पिता पीथा के साथ सोना पुत्र रामकिशन के नाम से मिसल बन्दोबस्त में गलत अंकन करवा लिया। सेटलमेंट से पूर्व व वादी के पिता की फौतगी के बाद उक्त खेतों पर वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी पीथा का वैध वारिस होने से आवगी भूमि घोषित करवाने एवं उत्तरदाता का नाम हटवाने का अधिकारी होने से हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इसलिए हस्तगत वाद मातहत अदालत के समक्ष पेश किया। लेकिन वादी/अपीलांट के साथ धोखा करते हुए हस्तगत वाद को विड्रो किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वक्त बन्दोबस्त के समय अपीलाधीन आराजी भूमि ग्राम दुधु के खसरा संख्या 431, 433, 430 रकबा 39.14 बीघा पर अपीलांटगण के पिता सोना व उतरदाता संख्या 01 के पिता पीथा का

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

संयुक्त कब्जा काश्त व हक हिस्सा होने से अपीलाधीन आराजी की पैमाईश अपीलांटगण के पिता सोना व उतरदाता संख्या 01 के पिता पीथा के संयुक्त रूप में पैमाईश करवाई गई। अपीलाधीन आराजी का पर्चा लगान भी अपीलांटगण के पिता सोना व उतरदाता संख्या 01 के पिता पीथा के नाम से संयुक्त रूप से जारी किया गया। लेकिन भूलवंश अपीलांटगण के पिता की वल्दियत उसके नाम पिता के स्थान पर उसके दादा का नाम अंकन हो गया। उतरदाता संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद के पद संख्या 06 बिनायदावा में राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज की जानकारी का तथ्य गलत व मिथ्या अंकित किया गया है। जिसका ज्ञान उतरदाता संख्या 01 के पिता को प्रारंभ से था। वादी को भी इसकी जानकारी प्रारंभ से थी। उतरदाता संख्या 01 के द्वारा केवल मात्र अपीलांटगण की भूमि हड़प करने की नियत से गलत तथ्य बताकर वाद पेश किया गया। अपीलाधीन आराजी अपीलांटगण की पैतृक, पुश्तैनी, संयुक्त, कदीमी काश्त एवं जागीरदारी की होने से अपीलांटगण का हक हिस्सा व अधिकार है। अपीलाधीन आराजी में अपीलांटगण का 1/2 हिस्सा व उतरदाता संख्या 01 का 1/2 हिस्सा हैं। जिस पर अपीलांटगण काबिज होकर काश्त करते हैं। अपीलाधीन आराजी पर पूर्व में अपीलांटगण के वालिद सोना तथा उसके बाद अपीलांटगण का आज दिन तक खुलमखुला श्रृंखलाबद्ध रूप से कब्जा चला आ रहा है। उक्त तथ्यों की जानकारी उतरदाता संख्या 01 व उसके पूर्वजों को आरंभ से भली भांति थी। वादी/उतरदाता संख्या 01 ने अपीलाधीन आराजी में अपना 1/2 हिस्सा स्वीकार करते हुए के. सी. सी. का ऋण लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृतक प्रतिवादी संख्या 03 पारू के विरूद्ध पारित की गई। उतरदाता संख्या 01 के पिता के द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी अपीलांटगण के हक अधिकारों को चुनौती नहीं दी गई। हस्तगत प्रकरण में नोटिस मिलने पर अपीलांटगण के द्वारा अपने ओर से पैरवी व प्रतिरक्षा करने हेतु वकील नियुक्त किया गया। लेकिन सुनवाई दिनांक 05.01.2021 को अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा पैरवी हिदायत नहीं होना जाहिर किया गया। अपीलांटगण के अधिवक्ता के द्वारा अपीलांटगण को सूचित किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी करना छोड़ दिया गया।. कानूनन अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा पैरवी हिदायत नहीं होना जाहिर करने पर अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये नोटिस सूचना दी जानी थी। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांटगण को सूचना दिये एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जल्दबाजी में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि से परे जाकर मौका रिपोर्ट तलब की गई। उक्त मौका रिपोर्ट एकपक्षीय तैयार की गई। मौका रिपोर्ट के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किये जा सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांटगण के खातेदारी अधिकार समाप्त कर उतरदाता संख्या 01 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं जो निरस्त योग्य है। सुनवाई दिनांक 07.07.2011 को प्रतिवादी संख्या 05 का सम्मन पेश करने का आदेश किये गये, जिसकी पालना में सम्मन पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 05 की तामिल करवाये बिना ही पत्रावली निर्णित कर दी गई। सुनवाई दिनांक 11.08.2011 को अपीलांटगण/प्रतिवादीगण की ओर से मौका रिपोर्ट पर आपति पेश की गई। सुनवाई दिनांक 14.09.2011 को प्रार्थना–पत्र आदेश 08 नियम 09, आदेश 08 नियम 06 सपठित धारा 151 सी पी सी का, सुनवाई दिनांक 26.06.2012 को प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना–पत्र आदेश 08 नियम 09 आदेश 08 नियम 09 व 06 सपठित धारा 151 सी पी सी का जबाव पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दोनों प्रार्थना–पत्र को निस्तारण किये बिना अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई जो विधि विरूद्ध है। वादी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.11.2014 को, दिनांक 08.03.2016 को शपथ–पत्र पेश किये गये जिसकी प्रति प्रतिवादी अधिवक्ता को नहीं दी गई। उस दिन शपथ–पत्र पेश करने वाले व्यक्ति, गवाह न्यायालय में हाजिर नहीं हुए तथा न ही उसके बाद कभी वादी के गवाह न्यायालय में हाजिर नहीं रहे। प्रतिवादी वकील की अनुपस्थिति में वादी के गवाह की जिरह बन्द की गई। संयुक्त खातेदारी का कब्जा प्रत्येक इंच पर बराबर माना जाता है विभाजन से पहले भूमि का कब्जा किसी एक खातेदार का माना नहीं जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुऐ आलोच्य निर्णय पारित किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–**RRT 2018-19(Supp.) Page 266, RRT 2023(1) Page 602, RRT 2013(1) Page 254, RRT 2013(1) Page 429, RRT 2012(1) Page 655, RRT 2012(1) Page 444, RRT 2023(1) Page 349, RRT 2004(2) Page 1226, RRT 2014-15(Supp.) Page 470, RRT 2018(20 Page 1205, RRT 2013(2) Page 1078, RRT 2003(1) Page 273, RRT 2016(2) Page 1378, RRT**

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

2013(2) Page 878, RRT 2011(2) Page 1350, RRT 2017(2) Page 1104

उतरदाता की तरफ से अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि उतरदाता संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस आशय का पेश किया कि वक्त सेटलमेंट वादी के पिता पीथा व उतरदाता के पिता सहदायिक संयुक्त परिवार नहीं होकर अलग अलग निवास करते थे। वादी के पैतृक खातेदारी खेत खसरा संख्या 431, 433, 430 कुल रकबा 39.10 बीघा मौजा दुधु में वादी के पिता सदभाविक काश्तकार होने से वादी के पिता के नाम का पर्चा लगान जारी हुआ किन्तु वक्त बंदोबस्त वादी के पिता वृद्ध अवस्था में होने के कारण व वादी नाबालिग होने से वादी के घर का काम काज सोना पुत्र वीरमा देखते थे इसलिए विधि अनुसार सोना को पैतृक भूमि में पीथा पुत्र सामकिशन का नाम अंकित करवाना था किन्तु वादी की भूमि हड़प करने की नियत से सोना पुत्र वीरमा ने वादी के पिता पीथा के साथ सोना पुत्र रामकिशन के नाम से मिसल बन्दोबस्त में गलत अंकन करवा लिया। सेटलमेंट से पूर्व व वादी के पिता की फौतगी के बाद उक्त खेतों पर वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी पीथा का वैध वारीस होने से आवगी भूमि घोषित करवाने एवं उतरदाता का नाम हटवाने का अधिकारी होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद समुचित सुनवाई उतरदाता/वादी के वाद को स्वीकार फरमाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में चार तनकी कायम की गई। जिसे साबित करने हेतु वादी ने अपनी तरफ से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू. 1 वादी स्वयं गोमाराम, पी.डब्लू. 2 अचलाराम पुत्र विरधा, पी.डब्लू. 3 वेहना पुत्र जुगताराम ने न्यायालय में उपस्थित होकर सशपथ अपने बयान कलमबद्ध करवाये। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने प्रदर्श 01 से प्रदर्श 03 पर्चा लगान की नकल संवत 2033, वादग्रस्त खेत की मौका फर्द प्रदर्श–4, वादग्रस्त खेत की प्रमाणित जमाबंदी प्रदर्श–5, वक्त सेटलमेंट के राजस्व दस्तावेजात प्रदर्श –6 से 9ए प्रस्तुत की गई। पी.डब्लू. 1 वादी गोमाराम ने अपने बयानों में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट में मेरे पिता वृद्ध व चलने फिरने में असमर्थ थे जिनका नाम पीथा था जिनका मैं जायन्दा पुत्र हूँ और मेरी पैतृक भूमि 40 बीघा है जिस पर मैं पूर्व से लेकर आज तक कब्जा काश्त हैं। मौके पर ढाणी, टयूबवेल, टुंके इत्यादि मौजूद है। वक्त सेटलमेंट में मैं नाबालिग था मेरे पिता वृद्ध थे। घर का कर्ता मुखिया सोना पुत्र वीरमा था और मेरी पैतृक भूमि में सोना पुत्र रामकिशन नाम राजस्व दस्तावेजों में दर्ज करवाये जो गलत करवाये उसे मैं आवगी भूमि घोषित करवाने का अधिकारी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

हूँ। सोना पुत्र रामकिशन के नाम का कोई व्यक्ति नहीं हैं। सोना पुत्र वीरमा नाम का व्यक्ति है। जिसका वक्त सेटलमेंट से अलग से पर्चा लगान जारी हुआ। पी.डब्लू. 2 अचलाराम पुत्र विरदाराम ने बहयानों कथन किया कि मैं वादी व प्रतिवादीगण को जानता हूँ जो मेरे पाड़ौसी है। मेरी समझ से लेकर आज तक खेत खसरा संख्या 431, 433 व 430 कुल रकबा 39.14 बीघा पर गोमा पुत्र पीथा का कब्जा काश्त है मेरी देखनी से मौके पर गोमा की ढाणी आबाद है टयूबवेल है जिसमें विद्युत कनेक्शन हैं। मौके पर टांके है जिसका उपभोग पीथा करता था और पीथा के फौत होने के बाद गोमा वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। वक्त सेटलमेंट में पीथा वृद्ध था व गोमा नाबालिग था घर पर काम–काज सोना देखता था इयलिये पीथा की भूमि में सोना पुत्र वीरमा सोना पुत्र रामकिशन बनकर गलत नाम अंकित करा दिया। सोना पुत्र वीरमा सोना पुत्र रामकिशन एक ही व्यक्ति है सोना पुत्र रामकिशन गलत नाम लिखवाकर पीथा की भूमि हड़पने से नाम लिखवाया है। यह वादग्रस्त भूमि गोमा पुत्र पीथा की पैतृक भूमि है। पी.डब्लू. 3 ने भी अपने बयानों में वादी के वाद की ताईद की है। वादी के वाद को विधि में नियत प्रक्रियाओं का पूर्ण पालन करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जबाव पेश किया गया। पत्रावली के अंतिम निस्तारण के वक्त अपीलांटस के अधिवक्ता जानबूझकर पैरवी की हिदायत नहीं होना अंकित किया गया। अपीलांटस के नाम से वक्त सेटलमेंट अलग से खातेदारी दर्ज की गई। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटस का कब्जा काश्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका फर्द मंगवाई गई उसमें उतरदाता/वादी का कब्जा अंकित है। उतरदाता संख्या 01 का वादग्रस्त आराजी में सम्पूर्ण हक हिस्सा है परन्तु अपीलांटगण के पिता सोना अपने गलत वल्दीयत दर्ज कर वादग्रस्त आराजी को हड़पने की नियत से दर्ज करवाया है जो गलत था। क्योंकि हमारी पैतृक भूमि का पटा वक्त सेटलमेंट से कर्ता खानदान का अलग से जारी हुआ था इसलिए विधि व न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत उतरदाता संख्या 01 अपने नाम खातेदारी घोषित करवाने का वैध अधिकारी है। अपीलांटस द्वारा मामले को अनवाश्यक चुनौति देनी की मंशा से हस्तगत अपील श्रीमान के समक्ष पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलाटस की अपील को सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे। उतरदाता के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–RRT 2024(1) Page 390, RRD 2017 Page 437

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 05.01.2021 को पैरवी हिदायत नहीं होना जाहिर करने पर अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस सूचना दिये बिना अपीलाधीन एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित की गई। दिनांक 18.10.2021 को अपीलांटगण के द्वारा के.सी.सी. ऋण हेतु अपीलाधीन आराजी की नकल निकाली गई, जिससे नामांतकरण प्रक्रियाधीन का नोट लगा होने के कारण पटवारी के पास जाकर दिनांक 20.10.2021 को जमाबंदी व नामांतकरण की प्रति ली गई। जिस पर सर्वप्रथम उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी होने पर दिनांक 21.10.2021 को अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली की नकल प्राप्त की। कोविड–19 महावारी के कारण लोकडाउन घोषित होने के कारण लोकडाउन की अवधि में आवागमन बाधित रहा। लोकडाउन की अवधि की परिसीमा में छूट प्राप्त करने का अपीलांट अधिकारी है। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपीलांटगण द्वारा हस्तगत अपील पेश करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई। जानकारी होने के पश्चात हस्तगत अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः– RRT 2016(2) Page 1378, RRT 2013(2) Page 878, RRT 2011(2) Page 1350, RRT 2017(2) Page 1104

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अपीलांटस द्वारा प्रार्थना–पत्र में झुठे तथ्यों को अंकित करते हुए आवेदन पेश किया गया। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता उतरदाता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–RRD 2012 Page 276, RRT 2011(2) Page 851, DNJ 2020(3) Page 697

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। कोविड–19 महामारी में परिसीमा अवधि में छूट दी गई। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपस्थिति में एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटगण के द्वारा अपने ओर से पैरवी व प्रतिरक्षा करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता नियुक्त किया गया। लेकिन सुनवाई दिनांक 05.01.2021 को अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा पैरवी हिदायत नहीं होना जाहिर किया गया। अभिभाषक प्रतिवादी के द्वारा पैरवी हिदायत नहीं होना जाहिर करने पर न्यायालय का यह दायित्व था कि वह प्रतिवादीगण को सूचित करते और सूचित करने के बाद ही प्रकरण में आगमी कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिये थी। विचारण न्यायालय ने मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ हैं। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। वक्त सेटलमेंट से अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। अपीलांटगण की खातेदारी भूमि को केवल मात्र मौखिक साक्ष्य से विलोपित किया जाना विधि सम्मत नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के वाद को पुष्ट करने हेतु मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जबकि खातेदारी घोषणा के वाद को वादी स्वयं को अपने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करना था जो नहीं किया गया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के न्यायिक दृष्टांत RRT 2014-15(Supp.) Page 470 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि कमिश्नर नियुक्त करके साक्ष्य संग्रह नहीं की जा सकती। RRT 2018(2) Page 1026 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि विवादित बिन्दु रेकर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्णित किया जा सकता है। कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर कब्जा का प्रश्न निर्णित नहीं किया जा सकता और कब्जा साबित करने के प्रयोजन के कमिश्नर नहीं किया जा सकता। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांटगण को सूचना दिये एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अपीलांटगण द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 एवं धारा 151 सी पी सी के साथ दस्तावेज पेश किये गये जिसे रिकॉर्ड पर लिये गये। ऐसी स्थित में यह स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज पर प्रथम बार विचार करने का तथा उस पर अपना मत प्रकट

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

करने व आदेश पारित करने का अधिकार विचारण न्यायालय को है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में कायम तनकीयात का एकतरफा विवेचन किया गया। अपीलांट/वादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88, 40, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धौरीमना द्वारा राजस्व वाद संख्या 114/2015 बउनवान गोमा बनाम राजू वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.01.2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर कायम तनकीयात विधि सम्मत विवेचन करते हुए बाद सुनवाई तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.04.2025 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

14/3/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर